2023 का विधेयक संख्यांक 80

[दि फोरेस्ट (कंजरवेशन) अमेंडमेंट बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

उद्देशिका का अंत:स्थापन ।

2. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) दीर्घ शीर्ष के पश्चात् और अधिनियमिति सूत्र से पूर्व निम्नलिखित उद्देशिका अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 1980 का 69

"और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए और पारिस्थितिकीय रूप से संतुलित भरणीय विकास के माध्यम से वन कार्बन स्टॉक का अनुरक्षण या वृद्धि करने के लिए वनों की महता को अनुभव किया जाना है ;

और देश के राष्ट्रीय रूप से अवधारित योगदान लक्ष्य वर्ष 2030 तक 2.5 से 3.0 बिलियन टन सीओ$_2$ के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने की परिकल्पना करते हैं ;

और देश अपने भूमि क्षेत्र के एक-तिहाई तक वन और वृक्ष आच्छदन में वृद्धि करने की परिकल्पना करता है, जिसे बढ़ी हुई वृद्धि प्रक्षेप्कता के साथ बल प्रदान किया जाना है ;

और भारत की वनों को और उनकी जैव-विविधता को संरक्षित करने की समृद्ध परंपरा रही है और इसलिए वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय फायदों में वृद्धि की जा रही है जिसके अंतर्गत वनों पर निर्भर समुदायों के जीवनयापन में सुधार की परिकल्पना भी सम्मिलित की गई है ;

और इसलिए, वनों के संरक्षण प्रबंधन और पुन: बहाली से संबंधित उपबंधों का उपबंध करने, पारिस्थितिकीय सुरक्षा, भरणीय संस्कृति और वनों के पारंपरिक महता का अनुरक्षण करने तथा आर्थिक आवश्यकताओं और कार्बन तटस्थता को बनाए रखने की आवश्यकता है ।"।

धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) में, "वन (संरक्षण)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

नई धारा 1क का अंत:स्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय भूमि को समाविष्ट करने के लिए अधिनियम ।

"1क. (1) निम्नलिखित भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट होगी, अर्थात् :—

(क) वह भूमि, जिसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार वन के रूप में घोषित या अधिसूचित किया गया है ; 1927 का 16

(ख) वह भूमि, जो खंड (क) के अधीन नहीं आती है, किंतु 25 अक्तूबर, 1980 को या उसके पश्चात् किसी सरकारी अभिलेख में वन के रूप में दर्ज की गई है:

परंतु इस खंड के उपबंध, ऐसी भूमि पर लागू नहीं होंगे, जिसे इस संबंध में राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसरण में 12 दिसंबर, 1996 को या उससे पहले वन से गैर-वन प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित कर दिया गया है; और

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "सरकारी अभिलेख" पद से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजस्व विभाग या वन विभाग

अथवा राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी प्राधिकारी, स्थानीय निकाय, समुदाय या परिषद द्वारा धारित अभिलेख अभिप्रेत है ।

(2) निम्नलिखित प्रवर्गों की भूमि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन समाविष्ट नहीं होगी, अर्थात् :—

(क) रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क, जिसका अनुरक्षण सरकार द्वारा किया जा रहा है, के समीप अवस्थित ऐसी वन भूमि जो आवास या रेल या सड़क के किनारे सुख-सुविधाओं के लिए, प्रत्येक मामले में अधिकतम 0.10 हेक्टेयर माप तक पहुंच प्रदान करती है;

(ख) भूमि पर ऐसे वृक्ष, वृक्षारोपण या वनरोपण जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं है; और

(ग) ऐसी वन भूमि,—

(i) जो राष्ट्रीय महता की सामरिक लिनियर परियोजना और जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने के प्रयोजन हेतु यथास्थिति अंतरराष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सौ किलोमीटर की दूरी के भीतर अवस्थित है; या

(ii) जो सुरक्षा संबंधी अवसंरचना के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित दस हेक्टेयर तक है ; या

(iii) जो रक्षा संबंधी परियोजना या अद्धसैनिक बलों के लिए कैंप या लोकोपयोगी परियोजनाओं के संनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने हेतु जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तावित है जो वामपंथी अतिवाद से प्रभावित क्षेत्र में जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, पांच हेक्टेयर से अधिक नहीं है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन उपबंधित छूट, ऐसे निबंधनों और शर्तों जिसके अंतर्गत भूमि से पेड़ों की कटाई के प्रतिकर के लिए वृक्षारोपण की शर्त भी है, जैसा केन्द्रीय सरकार मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के अध्यधीन रहते हुए होगी ।" ।

धारा 2 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 2 को उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और—

(क) इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(I) खंड (iii) में, "जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध या नियंत्रण के अधीन नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) स्पष्टीकरण में खंड (ख) के पश्चात् आने वाली दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात् :—

"किंतु इसके अंतर्गत वनों और वन्य जीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंधन से संबंधित कोई कार्य जैसे कि—

(i) वन संवर्धन अभियान जिसके अंतर्गत पुनरूद्धार

अभियान भी है;

(ii) सीमावर्ती वन कर्मचारिवृंद के लिए चैक-पोस्ट और अवसंरचना की स्थापना;

(iii) अग्निरेखाओं की स्थापना और अनुरक्षण;

(iv) बेतार संचार;

(v) बाड़, सीमा चिन्हों या स्तंभों, पुलों और पुलियाओं, चैक बांधों, जल-गढ्ढों, खाइयों और पाइपलाइनों का संनिर्माण;

(vi) सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में निर्दिष्ट संरक्षित क्षेत्र से भिन्न वन क्षेत्रों में स्वामित्वधीन चिड़ियाघर या सफारी की स्थापना ;

(vii) वन कार्यकरण योजना या वन्य जीव प्रबंधन योजना या बाघ संरक्षण योजना या उस क्षेत्र की कार्यकरण योजना में सम्मिलित पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाएं ;

(viii) इस प्रकार का कोई अन्य प्रयोजन, जिसे केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे,

सम्मिलित नहीं है । ";

(ख) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय सरकार आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या परीक्षण, जिसके अंतर्गत भूकंप सर्वेक्षण है, को गैर-वन प्रयोजन नहीं माना जाएगा ।"।

नई धारा 3ग का अंत:स्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 3ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

3ग. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के अधीन किसी प्राधिकारी को या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संगठन, इकाई या निकाय को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के कार्यान्यन के लिए आवश्यक समझे ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (अधिनियम) वनों के संरक्षण का तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक या प्रासंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । यह उपबंध करता है कि वन भूमि को अनारक्षित करने, गैर वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग करने, प्राईवेट अस्तित्वों को पट्टे के माध्यम से वन भूमि देने और पुनः वन लगाने के प्रयोजनों के लिए प्राकृतिक रूप से उगे हुए पेड़ों को काटने के लिए केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा अपेक्षित है ।

2. इसके अधिनियमित होने के पश्चात्, पारिस्थितिकी, सामाजिक और पर्यावरणीय घटनाओं जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने, वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने और वन कार्बन स्टॉक को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने से संबंधित नई चुनौतियां, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आई हैं । और, वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5 से 3.0 बिलियन टन सीओ$_2$ के समतुल्य कार्बन सिंक के सृजन के लिए वन या वृक्ष आच्छादन में वृद्धि करने के देश के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा वन आधारित आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय फायदों में वृद्धि द्वारा, जिसके अंतर्गत वन पर निर्भर करने वाले समुदायों के जीवन-यापन में सुधार सम्मिलित है, सहजीवी रूप से वन और उनकी जैव विविधता के परिरक्षण की समृद्ध परंपरा को अग्रसर करने के लिए इस अधिनियम के क्षितिज को व्यापक बनाने की आवश्यकता है ।

3. और, तारीख 12 दिसंबर, 1996 के माननीय उच्चतम न्यायालय के (टी.एन.गोदावर्मन तिरुमुलपद बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में) निर्णय से पूर्व उक्त अधिनियम के उपबंधों को अधिसूचित वन भूमियों पर लागू किया गया था और न कि राजस्व वन क्षेत्रों पर लागू किया गया था तथा राजस्व वन क्षेत्रों में गैर वानिकी उपयोग को सरकार और विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा अनुदत्त अनुज्ञा के माध्यम से अनुज्ञात किया गया था । उक्त निर्णय के पश्चात्, अधिनियम के उपबंधों को अभिलिखित वन क्षेत्रों, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिलिखित वन सम्मिलित हैं, जिनको पहले से ही गैर वानिकी उपयोग के लिए रखा गया था, में लागू किया गया था, जिससे प्राधिकरणों को भूमि उपयोग में कोई परिवर्तन करने तथा कोई विकास या उपयोगिता से संबंधित कार्य अनुज्ञात करने पर निर्बन्धित किया गया । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में प्राईवेट और सरकारी गैर वन भूमियों में बागान लगाने के संबंध में चिंताए उठाई गईं । इस स्थिति का परिणाम, अधिनियम के उपबंधों के विशेषकर अभिलिखित वन भूमियों, प्राईवेट वन-भूमियों, बागानों आदि में उनके लागू होने के संबंध में गलत निर्वचन के रूप में हुआ । इसलिए, विभिन्न किस्म की भूमियों में अधिनियम के लागू होने और लागू नहीं होने के परिमाण को विहित करना आवश्यक समझा गया है ।

4. राष्ट्रीय महत्ता की सामरिक और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं के त्वरित निपटान की आवश्यकता भी है, ताकि महत्वपूर्ण सुरक्षा अवसंरचनाओं के विकास को विशेषकर अंतरराष्ट्रीय सीमा-क्षेत्रों के साथ-साथ जैसे वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और लेफ्ट विंग चर्मपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जा सके । इसी प्रकार सार्वजनिक राजमार्गों और रेल के साथ के छोटे स्थापनों और बस्तियों को उन्हें

मुख्य राजमार्गों और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच और संपर्क उपलब्ध कराके सुकर बनाने की भी आवश्यकता है ।

5. चूंकि, अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात् पिछले चार दशकों के दौरान वनों के परिरक्षण और विकास से संबंधित पारिस्थितकीय, सामाजिक और पर्यावरणीय व्यवस्थाओं और नीतियों में परिवर्तन हुआ है, जिससे इसके उपबंधों को देश की पारिस्थितिकीय, सामरिक और आर्थिक अभिलाषाओं में गतिशील परिवर्तनों के अनुरूप रखने के लिए वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को संसद् में पुरःस्थापित करना प्रस्तावित है । उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार है—

(i) देश की वनों, उनकी जैव-विविधता को परिरक्षित करने की समृद्ध परंपरा और अपने परिधि के भीतर जलवायु परिवर्तन चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिनियम में एक उद्देशिका अंतःस्थापित करना ;

(ii) अधिनियम के संक्षिप्त नाम को संशोधित करके वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 करना है, जिससे उसके उपबंधों की संभावना को उसके संक्षिप्त नाम में परिदर्शित किया जा सके ;

(iii) विभिन्न भूमियों पर अधिनियम के लागू होने के परिमाण को स्पष्ट करना ताकि अस्पष्टता को दूर किया जाए और स्पष्टता लाई जा सके ;

(iv) अधिनियम के कार्यक्षेत्र से भूमियों की कतिपय श्रेणियों को छूट प्रदान करना—

(क) राष्ट्रीय महता की सामरिक और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं का त्वरित निपटान ;

(ख) सार्वजनिक मार्गों और रेल के किनारे छोटे स्थापनों को पहुंच प्रदान करना ; और

(ग) गैर-वन भूमि पर पौधा रोपण को बढ़ावा देना ;

(v) अधिनियम के अधीन प्रस्तावित छूटों पर विचार करते हुए भूमि पर पेड़ काटने के कार्य को हाथ में लेने की प्रतिपूर्ति करने के लिए वृक्ष रोपण की शर्त सहित निबंधनों और शर्तों का उपबंध करना ;

(vi) ऐसे अधिक कार्यकलापों, जिन्हें वन परिरक्षण और वन्य जीवन के लिए हाथ में लिया जाता है, को वानिकी गतिविधियों में सम्मिलित करना ;

(vii) सरकारी और प्राइवेट अस्तित्वों, दोनों की बाबत अधिनियम के उपबंधों के लागू होने में एकरूपता लाना ;

(viii) केंद्रीय सरकार को आदेश द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करना, जिनके अधीन रहते हुए कोई सर्वेक्षण, जैसे टोह लेना, पूर्वेक्षण, जांच या परीक्षण, जिसके अंतर्गत भूकंप सर्वेक्षण भी है, को गैर-वन प्रयोजन नहीं माना जाएगा ;

(ix) केंद्रीय सरकार को निदेश जारी करने के लिए सशक्त करना ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
27 मार्च, 2023

भूपेन्द्र यादव

उपाबंध

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्यांक 69)

से उद्धरण

* * * * * *

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 है ।

* * * * * *

वनों के अपारक्षण या वन भूमि के वनेतर प्रयोजन के लिए उपयोग पर निर्बन्धन ।

2. किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी यह निदेश करने वाला कोई आदेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, नहीं देगा—

* * * * * *

(iii) कि कोई वन भूमि या उसका कोई प्रभाग पट्टे पर या अन्यथा किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राधिकरण, निगम, अभिकरण या किसी अन्य संगठन को, जो सरकार के स्वामित्व, प्रबंध या नियंत्रण के अधीन नहीं है, समनुदेशित किया जाए;

* * * * * *

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "वनेतर प्रयोजन" से,—

(क) चाय, काफी, मसाले, रबड़, पाम, तेल वाले पौधे, उद्यान-कृषि फसलों या ओषधीय पौधे की खेती के लिए;

(ख) पुनर्वनरोपण से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए,

किसी वन भूमि या उसके प्रभाग को तोड़ना या काट कर साफ करना अभिप्रेत है किंतु इसके अंतर्गत वनों और वन्य-जीवों के संरक्षण, विकास और प्रबंध से संबंधित या उनसे आनुषंगिक कोई कार्य, अर्थात्, चौकियों, अग्नि लाइनों, बेतार संचारों की स्थापना और बाड़, पुलों और पुलियों, बांधों, जलछिद्रों, खाई चिह्नों, सीमा चिह्नों, पाइप लाइनों का निर्माण या अन्य वैसे ही प्रयोजन नहीं हैं ।

* * * * * *